बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
संकल्प

विषयः— ग्रामीण कार्य विभाग के अन्तर्गत संविदा के आधार पर 231 (दो सौ इकत्तीस) सहायक अभियंता (असैनिक) के नियोजन की स्वीकृति।

ग्रामीण कार्य विभाग में सहायक अभियंता (असैनिक) के 883 स्वीकृत पदों में से सीधी नियुक्ति के कुल 547 पद है जिसमें से 231 पद रिक्त है। उक्त रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विभागीय पत्रांक—2924 अनु0 दिनांक 12.06.2024 द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग को अधियाचना भेजी गयी है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्ति हेतु विज्ञापन का प्रकाशन नहीं किया गया है। चयन प्रक्रिया पूर्ण करने में समय लगने की संभावना है।

2. विभागीय संकल्प सं0—6800 दिनांक 28.11.2023 द्वारा ग्रामीण कार्य विभाग के बढ़े हुए कार्यो एवं दायित्वों का ससमय गुणवत्तापूर्ण एवं विशिष्टियों के अनुरूप निष्पादन हेतु पूर्व सृजित एवं नवसृजित सभी कार्यालयों को सशक्त एवं संगठनात्मक रूप से सुदृढ़ करने के निमित आवश्यकता आधारित नये एवं अतिरिक्त पदों के सृजन सहित पूर्व स्वीकृत पदों का पुनर्गठन एवं युक्तिकरण किया गया है। इस पुनर्गठन के फलस्वरूप सहायक अभियंता (असैनिक) स्तरीय 108 नए जाँच एवं गुणवत्ता नियंत्रण, प्रयोगशाला का सृजन किया गया है। इन प्रयोगशालों के संचालन/क्रियान्वयन के लिए सहायक अभियंताओं की आवश्यकता है। सहायक अभियंताओं की घोर कमी को देखते हुए संविदा के आधार पर सेवानिवृत्त सहायक अभियंता की उपलब्धता के संबंध में समीक्षा की गयी एवं पाया गया कि सहायक अभियंता (असैनिक) का पद बेसिक ग्रेड का पद है। इस पद से काफी कम संख्या में अभियंता सेवानिवृत्त होते है। इस बात की सम्भावना क्षीण है कि संविदा के आधार पर नियोजन हेतु पर्याप्त मात्रा में सेवानिवृत्त सहायक अभियंता उपलब्ध हो पाए।

3. ग्रामीण कार्य विभाग से संबंधित विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के ससमय कार्यान्वयन एवं विभागीय संकल्प सं0—6800 दिनांक 28.11.2023 के द्वारा नवसृजित सभी कार्यालयों को सशक्त एवं संगठनात्मक रूप से सुदृढ़ एवं संचालित करने के निमित्त सहायक अभियंता (असैनिक) की नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया में अपरिहार्य विलम्ब को देखते हुए कार्यहित में तथा विशेष परिस्थिति में सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक—1003 दिनांक 22.01.2021 के निहित शर्तो एवं प्रक्रियाओं के अधीन

ग्रामीण कार्य विभाग के अन्तर्गत स्वीकृत एवं रिक्त पदों के विरूद्ध विज्ञापन के आधार पर 231 (दो सौ इकत्तीस) सहायक अभियंता (असैनिक) को संविदा के आधार पर एक बार में एक वर्ष के लिए अथवा बिहार लोक सेवा आयेाग की अनुशंसोपरांत नियमित नियुक्ति होने तक (जो पहले हो) के लिए GATE (Graduate Aptitude Test in Engineering) Score के आधार पर नियोजित किये जाने का निर्णय लिया गया है। इसमें आदर्श रोस्टर का अनुपालन किया जायेगा। इस नियोजन हेतु अन्य अर्हताएँ वही होगी जो नियोजन में बिहार अभियंत्रण सेवा वर्ग–II भर्त्ती नियमावली में विहित है। नियोजित किये जाने वाले व्यक्ति को संकल्प ज्ञापांक–1003 दिनांक 22.01.2021 की कंडिका–4(3)(i) के आलोक में गठित समिति द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक ही अनुमान्य होगा तथा संकल्प की कंडिका–4(4) में निहित प्रावधान के अनुरूप नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया में अधिमानता दी जाएगी। यह नियोजन पूर्णतः अस्थायी होगा और नियमित नियुक्ति के लिए कोई दावा मान्य नहीं होगा।

आदेश– **आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतियाँ सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/सचिव, बिहार कर्मचारी चयन अयोग, पटना/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को भेजी जाय।**

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(दीपक कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक–05/अ0प्र0–01–23/2024 6040 दिनांक– 01/10/24

प्रतिलिपिः–सभी अपर मुख्य सचिव/सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिलाधिकारी/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग/सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक–05 / अ0प्र0–01–23 / 2024 6040 दिनांक– 01/10/24

प्रतिलिपिः–अपर सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक–05 / अ0प्र0–01–23 / 2024 6040 दिनांक– 01/10/24

प्रतिलिपिः–प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को दो हार्ड कॉपी एवं सी0डी0 के साथ बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित (द्वारा आई0टी0 मैनजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना)।

अपर मुख्य सचिव
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक–05 / अ0प्र0–01–23 / 2024 6040 दिनांक– 01/10/24

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव / अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव / विशेष सचिव के आप्त सचिव / अपर सचिव के आप्त सचिव / अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव के आप्त सचिव / अभियंता प्रमुख के आप्त सचिव / सभी मुख्य अभियंता / सभी संयुक्त सचिव / सभी उप सचिव / सभी अधीक्षण अभियंता / सभी अवर सचिव / सभी कार्यपालक अभियंता / मुख्यालय स्थित सभी राजपत्रित पदाधिकारी, ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना